



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092020-221966  
CG-DL-E-25092020-221966

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2953]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942

No. 2953]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

(आयकर)

का.आ. 3304(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 12ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 143 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ अथवा धारा 139 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई विवरणियों के संबंध में अथवा उक्त अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी नोटिस की प्रतिक्रिया में सहायक आयकर आयुक्त/उपआयुक्त आयकर (राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र) के उक्त अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) के अन्तर्गत नोटिस के जारी किए जाने के प्रयोजनार्थ दिल्ली में अपना मुख्यालय रखते हुए विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. यह अधिसूचना 13 अगस्त, 2020 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 79 /2020 फा. सं. 187/2/2019-आईटीए-1]

गुलजार अहमद वानी, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को लागू किए जाने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।